व्यवस्था की गई है। यूरोपियन कमीशन में एक ऐसा प्रस्ताव विचाराधीन है जिसमें यह कहा गया है कि जीएसपी लाभों को बालश्रमिकों जैस मुद्दों से जोड़ने का एक रिजोल्यूशन मंजूर किया जाये। सरकार ने इस मामले में यह कख अपनाया है कि बाल-श्रमिकों की समस्या से निपटने के लिए व्यापारी कार्रवाई कोई प्रभावी तरीका नहीं है तथा गेट में ऐसी कोई स्वीकृति नहीं है, जिलके अनुसार कियो देश की सामाजिक मुद्दों से संबंधित चिंता को प्रकट करने के लिए या व्यापारी उपायों का सहारा लिया जाये। उक्त प्रस्तावित उपाय ग्रभी तक प्रभावी नहीं हुए हैं और इसलिये उन्हें कार्यान्वित करने का प्रश्न नहीं उटता।

भारत में, 1986 के बाल-श्रमिक, (निषेध और विनियमन) ग्रीधिनियम में खतरनाक व्यवसायों में वाल-श्रमिकों को लगाने पर प्रतिबंध है। इस कामृन में ऐमा संशोधन करने का विचार है जिसप इसकी व्यवस्थाएं ग्रौर भी कईं। हो जाए ।

बंधुआ बाल श्रम संबंधी राष्ट्रीय आयोग

*106 श्रीमती आनग्दीबेन जेंठाभाई पटेल : श्री इक्षाल सिंह :

क्या क्षम मंत्री यह बढाते की कृपः करेंगे कि :

- (क) क्या सरकार ने बच्चों को श्रिमिकों के रूप में काम पर लगाने तथा उन्हें बंधुग्रा श्रिमिक बनाने को रोकने श्रीर उनके शोषण को समाप्त करने के लिए कोई मंच बनाया है;
- (ख) क्या सरकार बच्चों के अधि-कारों की रक्षा के लिए एक राष्ट्रीय श्रामीय गठित करने का विचार रखती है; श्रीर
- (ग) मदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. ए. संगमा): (क) से (ग) बालकों के शोषण ग्रीर उन्हें बंधुग्रा बताने से रोकते तथा श्रमिकों के रूप में उनके नियोजन को रोकने के लिए सरकार के विधायी, प्रशासनिक तथा न्यायिक संघटकों में ग्रनेक मंच उपलब्ध हैं।

समस्या को दूर करने के लिए उपाय करने हेत् विचार-विमर्श करने एवं कानून बनाने के लिए संपद एवं राज्य विधान मंडल एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करती है। बालकों के शोषण को रोकने के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान करने के लिए अनेक कानून पारित किए गए हैं, जिनमें से कारखाना ग्रधिनियम, 1948, **खान** श्रधिनियम, 1952, बंधित श्रम पद्धति (उत्पादन) श्रधिनियम, 1976 ग्रौर बाल श्रम (प्रतिशेष एव विनियमन) ग्रिधिनियम 1986 यधिक महत्वपूर्ण हैं। बाल श्रम (प्रतिषंध एवं विनियमन) ऋधिनियम की धारा 16 में किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी सक्षम न्यायालय में शिकायत दर्ज करने का प्रावधान है। श्रम एवं कल्जाण से संबंधित संसदीय स्थायी समिति तथा संसदीय परामर्शदात्री समिति भी कार्यान्वयन के लिए रणनीति बनाने की समीक्षा एवं सिफारिश करती है।

कानूनी उपबन्धों का प्रवर्तन केन्द्र एवं राज्य सरकारों के प्रशासनिक तंत्र द्वारा किया जाता है। कार्यान्वयन की समीक्षा करने तथा उपयुक्त रणनीति तैयार करने के लिए केन्द्र एवं राज्य स्तर पर बाब श्रमिक सलाहकार बोर्ड पठित किए पए हैं। बंधित श्रम पद्धति (उत्पादन) श्रधिनियम, 1976 के तहत जिला एवं उप-मडनीब स्तर पर राज्य सरकारों द्वारा गठित सत-कर्ता सिनितया जिनमें सामाजिक कार्य-कर्ताश्रों तथा गैर-मरकार्या संगठनों का प्रति-निधित्व होता है, प्रवर्तन एवं पुनर्वास के काम में श्रधिनियम के कार्यन्वकर का

सरकार को कत्याण एवं यूनवाँक योजना मुख्यतः गैर-सरकारी संगठनो द्वारा चलाई जाती हैं को शोषण की झोर उत्मुख कामकाजी बालकों की संरक्षा में झीर

बड़ोत्तरी को रोकने के लिए जागहकता पदा करने की गतिविधियों में एक महत्वपूर्ण भमिका ग्रदा करते हैं।

विभिन्न विधान के ग्रतर्गत विशिष्ट रूप से न्यायिक कोटा की व्यवस्था है एवं समय-समय पर उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायासयों ने लोकहित के मुकदमों पर महत्वपूर्ण निर्णय दिए हैं। ये निर्णय प्रवर्तन ग्रौर पुनर्वास में प्रशासनिक कार्यवाही के लिए मार्गे दर्शन करते हैं।

एक मानव प्रधिकार ग्रायोग का भी गठन किया गया है। इस आयोग के कायों में मानव अधिकारों के उल्लंघन के आरोपों पर स्वतः प्रेरणा से कार्रवाई करना शामिल है, इस प्रकार इस के ग्रतर्गत बंधग्रा बाल श्रमिक सहित कामकाजी बालकों के जोषण के मानले भी स्राते हैं।

ग्रतः इस समय बालकों के लिए एक भ्रलग भ्रायोग बनाने की जरूरत समझी गई है ।

Tobacco auccion centres in Gujarat

- *107. SHRI DILIP SINGH JUDEV: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:
- (a) whether Government have received any request from the tobacco growers of Gujarat to open tobacco auction centres at Nadiad Anand district of Gujarat to provide remunerative prices to the growers;
 - (b) if so, the details thereof; and
- (c) by when these centres are likely to be set up?

THE MINISTER OF COMMERCE (SHRI PRANAB MUKHERJEE): (a) to (c) Some representations had been received regarding the establishment of tobacco auction centres by Tobacco Board, at some places Gujarat State. The matter is under consideration.

U.S. withdrawal of super 301 sanctions

*108. SHRI G.G. SWELL: SHRIMATI RENIIKA CHOWDHURY:

Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

- (a) whether it is a fact that has withdrawn its threat of using super 301 sanctions against India;
- (b) if so, what is the assessment of Government regarding change of US stance:
- (c) what is the percentage of Indian exports to US as compared to overall exports:
- (d) whether trade with Russia likely to increase subsequent to Prime Minister's visit to Moscow:
- (e) if so, the details thereof terms of trade mechanism strategy and quantum; and
- (f) whether the auction of rupee debt fund in Russia would increase Indian exports to Russia?

THE MINISTER OF COMMERCE (SHRI PRANAB MUKHERJEE): (a) and (b) The U.S. administration has not identified India as a priority foreign country under the reinstituted Super 301, provision of U.S. Trade law so far.

- (c) USA account for about 18 per cent of India's total exports during 1993-94.
- (d) The Prime Minister's visit Moscow (29 June-2 July 1994 was a re-affirmation of the importance which India and Russia attached to bilateral relations. It marked a qualitatively new stage of partnership and cc-operation, inter-alia, in the trade and economic sphere.
- (e) During the meeting of the Co-Chairman of the Indo Russia Joint